– : : न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर : : –

बइजलाइस श्री परसाराम आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 127 / 2014

वादी	बनाम	प्रतिवादी
भंवरलाल पुत्र पूनाराम जाति जाट निवासी ग्राम फागली तहसील व जिला नागौर।		1. नेनी पुत्री सांवताराम 2. भूरी पुत्री सांवताराम 3. कैलाशी पुत्री सांवताराम 4. पूनाराम पुत्र सांवताराम जातियान जाट निवासी फागली तहसील व जिला नागौर। 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

वाद घौषणा हक खातेदारी एव बंटवाडा खेताय
वाद अधीन धारा 53,88 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

निर्णय

दिनांक 09.06.2017

वादी की ओर वाद पत्र प्रस्तुत करता है कि, वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 का एक ही संयुक्त अविभक्त हिन्दू परिवार रहा है।

यह है कि वादी अपने पिता प्रतिवादी संख्या 4 से संवत 2060 में अलग होकर अलग निवास करने लग गया, तब वादी के हिस्से में खेत हाल खसरा नम्बर 21 रकबा 7.02 बीघा भूमि बंट में रखी गयी एवं वादी के दादा जी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पिताजी सांवताराम जी के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में खेत हाल खसरा नम्बर 444 रकबा 24.10 बीघा सरहद मौजा फागली का रखा गया। वादी के दादा अति वृद्ध एवं अपना भरण पोषण करने तथा कमाने खाने में असमर्थ हो जाने से सांवताराम जी वादी के साथ ही संवत 2068 से निवास करते तथा वादी ही उनकी संवा चाकरी करता, बाकी परिवार के तमाम सदस्य अपना हक हिस्सा लेकर हो जाने के बाद हाल खसरा नम्बर 444 पूरा सांवताराम जी के भरण पोषण हेतु बंट में रखा। वादी के दादा जी सांवताराम जी की मृत्यु माह जनवरी 2014 में हो गई, जिनकी गंगाप्रसादी एवं द्वादशा आदि के क्रियाकर्म वगैरा सभी खर्च आदि का वहन भी वादी ने ही किया एवं खसरा नं. 444 का कब्जा भी संवत 2068 से लगातार वादी अकेले का रहता चला आया है एवं सांवताराम जी ने भी अपने जीवनकाल में सभी पुत्र. पुचीयों को बुलाकर अपनी खातेदारी के खेत का हक अधिकार वादी के पक्ष में भी कर मौखिक रूप से वादी को बंट में देने का कह दिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 एवं पुत्री ने भी हक त्याग व अधिकार वादी के हक में कर दिया गया, तब से वादी अकेला ही उक्त खेत खसरा नम्बर 444 मौजा फागली पर वैध पूर्वक शांतिपूर्वक रूप से काबिज खातेदार हो गया एवं खातेदारी अधिकार वादी अकेले में निहित होने से घौषणा हक खातेदारी वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। नकल जमाबंदी एवं नक्शा खेत खसरा नम्बर 444 का वाद के साथ प्रस्तुत है।

यह है कि वादी के पिता पूनाराम वादी से अलग निवास करते है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 तथा एक भुआ भी वादी के घर पर वार त्यौहार, शादी समारोह में आती, जाती रही है, जिससे वादी के दादा सांवताराम जी के खातेदारी का खेत सभी पक्षों की सहमति से वादी बोता व अंवैरता आ रहा है इस वर्ष भी वादी ने ही फसल बाजरा, मूंग की बो रखी है। प्रतिवादीगण का कोई दखल व हस्तक्षेप नहीं रहा है। वादी की भुआ माह मार्च 2014 में फौत होने के बाद एंव खसरा नं. 444 के खातेदार सांवताराम जी की मृत्यु 2014 की जनवरी में ही हो जाने पर शेष उतराधिकारी

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 द्वारा खातेदारी वादी के हक में कराने का कह देने पर एक आवेदन तहसीलदार, नागौर प्रतिवादी संख्या 5 को प्रस्तुत करने पर भी पटवारी हल्का द्वारा माह अगस्त 2014 में दावा से खातेदारी हक घौषणा करवाने से यह वाद घौषणा हक खातेदारी व बंटवाडा का अनुतोष का प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह है कि, वादग्रस्त खेत हाल खसरा नम्बर 444 का भूधारक राजस्थान सरकार होने से उनके वैध प्रतिनिधि प्रतिवादी संख्या 5 को विधिवत रूप से पक्षकार बना कर यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह है कि, बिनायवाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के मुतदाविया खेत खसरा नम्बर 444 का कब्जा काश्त वादी अकेला का सांवताराम के जीवनकाल से ही संवत 2068 से लगातार वादी का आज दिन तक वैध रूप से होने से एवं वादी के दादा जी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 ने वादग्रस्त खेत की खातेदारी से अपना हक अधिकार मौखिक रूप से त्याग कर वादी के हक में निष्पादित करवा देने से यह वादकारण बमुकाम फागली में पैदा हुआ।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये सम्मन तलब किये गय। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से निम्न जवाबदावा प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, यह है कि वाद का पैरा संख्या 1 सही है वंशावली सही दर्शायी गयी है।

यह है कि वाद का पैरा संख्या 2 जिस प्रकार से दर्ज किया है सही होने से स्वीकार है। यह सही है कि वादी अपने पिता प्रतिवादी संख्या 4 से संवत 2060 में अलग होकर अलग निवास करने लग गया, तब वादी के हिस्से में खेत हाल खसरा नम्बर 21 रकबा 7.02 बीघा भूमि बंट में रखी गयी एवं वादी के दादा जी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 के पिताजी सांवताराम के बंट कब्जा काश्त व खातेदारी में खेत हाल खसरा नम्बर 444 रकबा 24.10 बीघा सरहद मौजा फागली का रखा गया। यह सही है कि वादी के दादा अति वृद्ध एवं अपना भरण पोषण करने तथा कमाने खाने में असमर्थ हो जाने से सांवताराम जी वादी के साथ ही संवत 2068 से निवास करते तथा वादी ही उनकी सेवा चाकरी करता, बाकी परिवार के तमाम सदस्य अपना हक हिस्सा लेकर अलग हो जाने के बाद हाल खसरा नम्बर 444 पूरा सांवताराम के भरण पोषण हेतु बंट मे रखा। यह सही है कि वादी के दादा जी सांवताराम जी की मृत्यु माह जनवरी 2014 में हो गई, जिनकी गंगाप्रसादी एव द्वादशा आदि के क्रियाकर्म वगैरा सभी खर्च आदि का वहन भी वादी ने ही किया एवं खसरा नम्बर 444 का कब्जा भी संवत 2068 से लगातार वादी अकेले का रहता चला आया है एवं सांवताराम ने भी अपने जीवनकाल में सभी पुत्र, पुत्रीयों को बुलाकर अपनी खातेदारी के खेत का हक अधिकार वादी के पक्ष में भी कर मौखिक रूप से वादी को बंट में देने का कह दिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 एवं पुत्री ने भी हक त्याग व अधिकार वादी के हक में कर दिया गया, तब से वादी अकेला ही उक्त खेत खसरा नम्बर 444 मौजा फागली पर वैध पूर्वक शांतिपूर्वक रूप से काबिज खातेदार हो गया एवं खातेदारी अधिकार वादी अकेले में निहित होने से घौषणा हक खातेदारी वादी प्राप्त करने का अधिकारी होने से तथ्य सही है।

यह है कि वाद का पैरा संख्या 3 सही वर्णित होने से स्वीकार है। यह सही है कि वादी के पिता पूनाराम वादी के अलग निवास करते हैं एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 तथा एक भुआ भी वादी के घर पर वाद त्यौहार, शादी समारोह में आती, जाती रही है, जिससे वादी के दादा सांवताराम के खातेदारी का खेत सभी पक्षों की सहमति से वादी बोता व अंवैरता आ रहा है, अन्य तथ्य अनुच्छेद भी सही होने से स्वीकार है।

वादी ने वाद के समर्थन में वादी स्वयं एवं गवाह मुस्ताक, गवाह मदनलाल, के बयान करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 व 2 प्रस्तुत किये। पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

अमरपुरा में पेश हुई। पक्षकारान को मजमे आम में पूछा गया। प्रतिवादीगण ने भी इकबाली जवाब प्रस्तुत कर वादी के वाद की ताईद की है। वादग्रस्त खसरा नम्बर 444 मौजा फागली वादी के एवं प्रतिवादीगण के सहखातेदारी में दर्ज है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री किया जाता है।

(क) मौजा फागली के हाल खसरा नम्बर 444 रकबा 24.10 बीघा का एकमात्र खातेदार वादी को घोषित किया जाता है। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। नियमानुसार आवश्यक स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार नागौर को लिखा जावे।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

निर्णय दिनांक 09.06.2017 को मजमे आम में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

–: न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ), नागौर :–

डिगरी बमुकद्दमे इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मुकाम नागौर
इजलास श्री परसाराम आर.ए.एस.

वादी	बनाम	प्रतिवादी
भंवरलाल पुत्र पूनाराम जाति जाट निवासी ग्राम फागली तहसील व जिला नागौर।		1. नेनी पुत्री सांवताराम 2. भूरी पुत्री सांवताराम 3. कैलाशी पुत्री सांवताराम 4. पूनाराम पुत्र सांवताराम जातियान जाट निवासी फागली तहसील व जिला नागौर। 5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

राजस्व वाद 124/2014 सन् 2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू .....
....व हाजरी.....मिनजानिब मुद्दई व .....
.....मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है मौजा फागली के हाल खसरा नम्बर 444 रकबा 24.10 बीघा का एकमात्र खातेदार वादी को घोशित किया जाता है।
..... लीज.....
...मुबलिक.....बाबत्.....खर्चा इस मुकद्दमे मय सूद व शहर.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करें। बसीब्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....माह.....सन् 20.....
.....

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) नागौर

दस्तखत.....
ओंहदा.....

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दयला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजसय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		